बदमाश के घर फायरिंग,स्थानीय लोगों ने दबोचे हमलावर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 मई. हजीरा थाना क्षेत्र में गैंगवार के चलते एक बार फिर हिस्ट्रीशीटर और बदमाश हेमू सिकरवार के घर पर फायरिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फायरिंग के बाद स्थानीय लोगों ने घेराबंदी कर हमलावरों को दबोच लिया और उनकी जमकर पिटाई की। हालांकि, पुलिस ने इस पूरे मामले में हैरान करने वाला रुख अपनाते हुए हमलावरों को ही फरियादी बना लिया है। पुलिस ने हेमू सिकरवार और उसके साथियों के खिलाफ मारपीट और धमकाने का केस दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, हजीरा की लाइन नंबर-2 निवासी हिस्ट्रीशीटर हेमू सिकरवार के घर पर दो युवकों ने फायरिंग की।

पुलिस ने हेमू और उसके साथियों पर ही दर्ज किया केस

नारायण विहार कॉलोनी निवासी अंकेश रावत उर्फ छोटू रावत (22) और उसके साथी मयंक परिहार पर गोली चलाने का आरोप है। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और घेराबंदी कर दोनों हमलावरों को पकड़ लिया।

इस मामले में पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पूरी घटना को एक नया मोड़ देती है। एफआईआर के मुताबिक अंकेश रावत और मयंक परिहार बाइक से लाइन नंबर-2 से गुजर रहे थे। आरोप है कि तभी वहां मौजूद अनुराग भदौरिया, सिद्धांत राजावत, हेमू सिकरवार, अजीत तोमर, आलोक तोमर, सौरव और प्रद्युम्न सिकरवार ने उन्हें रोका और शराब पीने के लिए पैसों की मांग की।

पैसे देने से इनकार करने पर उनके साथ गाली-गलौज की गई और पत्थर, बेल्ट व लात-घूंसों से मारपीट की गई।

एफआईआर में यह भी कहा गया है कि आलोक तोमर ने मयंक के हाथ में जबरन पिस्टल थमाकर वीडियो बनाया और धमकी दी कि पुलिस में शिकायत करने पर वीडियो वायरल कर फंसा देंगे।

इस मामले में पुलिस ने हेमू और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हेमू और उसके साथी हमलावरों को पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में हमलावर खुद पिस्टल से फायर करने की बात स्वीकार करते दिख रहे हैं।

वहीं, महाराजपुरा सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार का कहना है कि यह साधारण मारपीट का मामला है, जिसमें आरोपियों (हेमू व उसके साथियों) द्वारा युवकों की पिटाई कर जबरन उनसे फायरिंग की बात कहलवाई जा रही है।

इनका कहना है..

संदिग्ध हजीरा क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना प्रतीत हो रही है, जिसमें युवकों की मारपीट कर जबरन वीडियो बनवाया जाना सामने आया है। फिलहाल पूरे मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है।

विदिता डागर,
एएसपी, सिटी (ईस्ट)

कैट की मुरार नगर इकाई गठित

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 मई. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भूपेन्द्र जैन ने ग्वालियर महानगर की मुरार नगर शाखा का गठन किया। कैट के

पदमचंद जैन नगर अध्यक्ष, प्रहलाद अग्रवाल नगर मंत्री, अभय गांगिल कोषाध्यक्ष बने

संयुक्त अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल जी के निवास रिवरव्यू कॉलोनी मुरार पर आयोजित व्यापारियों की वृहद बैठक में मुरार नगर क्षेत्र का गठन किया गया, जिसमें पदमचंद जैन नगर अध्यक्ष, प्रहलाद अग्रवाल नगर मंत्री, अभय गांगिल को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर कैट के कोर मेम्बर अमित सेठी, जैन समाज मुरार के अध्यक्ष दिनेश जैन, कैट के सदस्य सुनील गोयल, अजय जैन, योगेश मित्तल, प्रतीक जैन लालू, मोहन अग्रवाल, जे.पी. अग्रवाल, कैलाश अग्रवाल, अजय खंडेलवाल सहित अनेक लोग उपस्थित थे। कैट के संयुक्त अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कहा कि मुरार क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ायेंगे और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैट सक्रियता से काम करेगा।

सुलभ न्याय के लिए समाधान समारोह-2026 शुरू

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 मई. न्याय को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में भी समाधान समारोह-2026 शुरू हो गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह पहल की गई है। गत 22 अप्रैल को न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत ने देश के सभी उच्च न्यायालयों और विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इस अभियान के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अभियान का समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को होगा। इन तिथियों में

21 से 23 अगस्त तक सर्वोच्च न्यायालय में लगेगी विशेष लोक अदालत

सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।

मामलों के समाधान के लिए पहले से सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। ये बैठकें राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के मध्यस्थता केंद्रों में हो रही हैं। प्रशिक्षित मध्यस्थ और अधिकारी पक्षकारों की मदद करेंगे। पक्षकार इन बैठकों में व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं, वादकारियों और संबंधित पक्षों से इस पहल में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। इच्छुक पक्षकार 31 मई तक विशेष लोक अदालत में शामिल करा सकते हैं अपने मामले इच्छुक पक्षकार 31 मई 2026 तक अपने मामलों को इस विशेष लोक अदालत में शामिल कर सकते हैं।

डीआईजी अमित सांघी रिलीव, असित यादव ने संभाला पदभार

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 मई. ग्वालियर रेंज में बुधवार शाम को एक अहम प्रशासनिक बदलाव के तहत डीआईजी अमित सांघी को उनके

अमित सांघी शनिवार को होंगे भोपाल रवाना, पुलिस मुख्यालय में संभालेंगे नई जिम्मेदारी

पद से रिलीव कर दिया गया। उनकी जगह भिंड एसपी पद से स्थानांतरित होकर आए आईपीएस (भापुसे) अधिकारी

असित यादव ने नए डीआईजी का पदभार ग्रहण कर लिया है।

निवर्तमान डीआईजी अमित सांघी अब शनिवार को भोपाल के लिए रवाना होंगे, जहां वे पुलिस मुख्यालय में डीआईजी होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ का कार्यभार संभालेंगे। बुधवार को पुलिस लाइन में अधीनस्थ अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों ने डीआईजी अमित सांघी को भावभीनी विदाई दी।

ग्वालियर रेंज के नए डीआईजी असित यादव भारतीय पुलिस सेवा (भापुसे) के एक बेहद कड़क और अनुशासित अधिकारी हैं। मूलत: मेरठ के रहने वाले असित यादव को उनके सख्त तेवरों के कारण 'सिंघम' भी कहा जाता है। अपने भिंड एसपी कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए, जिससे वहां अपराधों का ग्राफ लगातार नीचे आया।

उनके ग्वालियर रेंज का पदभार संभालने से अंचल में अपराध नियंत्रण को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

याद रहेगा डीआईजी सांघी का कार्यकाल

अमित सांघी का ग्वालियर में डीआईजी और इससे पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (स्स्क्) का कार्यकाल लोगों के जेहन में हमेशा याद रहेगा। अपनी बात के धनी, ईमानदार व बेहद शिष्ट कार्यशैली के कारण वे ग्वालियर अंचल में अत्यंत लोकप्रिय रहे।उनकी तेजतर्रार कार्यशैली से ग्वालियर अंचल में अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई। बदमाशों की धरपकड़ इतनी तेज हुई कि कई अपराधी ग्वालियर छोड़कर पलायन कर गए।

प्रकृति संरक्षण का संदेश है गोवर्धन पूजा : रामप्रसाद

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 मई. बड़ोदा रामद्वारा के अधिष्ठाता व अंतराष्ट्रीय रामस्नेही सम्प्रदाय के स्वामी रामप्रसाद महाराज ने लक्ष्मीगंज स्थित रामद्वारा में चल रहे श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में पांचवें दिन बुधवार को गोवर्धन पूजा का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि

इंसान के लिए जीवन में कई मान्यताएं समय के साथ अप्रासंगिक हो जाती हैं व जो समाज रूडीयों में, कुरीतियों में जकड़ा रहता वह उन्नति नहीं कर सकता है। परिवर्तन ही विकास का मूल है, यही संदेश गिरिराज पर्वत उंगली पर धारण कर, गोवर्धन पूजा के माध्यम से समाज

को जड़ता छोड़कर प्रकृति को पूजकर, पर्यावरण की रक्षा करने का भगवान श्रीकृष्ण ने दिया है। क्योंकि प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा होगी तभी मानव के स्वास्थ्य की रक्षा होगी

संतश्री ने आगे बताया कि गोवर्धन पूजा का प्रसंग यह सिद्ध करता है कि हिंदू धर्म एवं शास्त्र कितने वैज्ञानिक हैं व प्रामाणिक हैं, जिनमें प्रकृति के महत्व को भगवान की तरह पूजनीय बताया गया है। जो पहाड़, नदियाँ, झील, सरोवर,जंगल, हिमनद,कूप, बावड़ियां हमारी जरूरतें पूरी करते हैं प्राणी जगत को उनका आभार मानकर ईश्वर के समान पूजना चाहिए।

संतश्री ने आगे कहा कि आज के प्रदूषणयुक्त वातावरण में हमें ऑक्सिजन का महत्व समझ आरहा है। हरियाली कम होने से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, प्रदूषण के कारण मनुष्य को साँस लेना भी मुश्किल हो रहा है। स्वस्थ्य जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हम प्रकृतिक संशाधनों सहेज कर वृक्षारोपण करे, जल का अपव्यय रोकें, सरंक्षण करें ।

प्रभु कृपा से पत्थर पूजनीय हो जाते हैं

संतजी ने बताया कि किसी को भी पद एवं सत्ता का अहंकार नहीं करना चाहिए, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उंगली पर धारण कर इंद्र के अहंकार का मर्दन किया ।परमात्मा की कृपा से पत्थर भी पूजनीय हो जाते हैं जैसे सामान्य गोवर्धन पर्वत पूजनीय हो गया।

गोवर्धन को लगे 56 भोग

कथा में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया एवं भगवान गोवर्धन को छप्पन भोग अर्पित किए गए। कल रुक्मिणी विवाह की कथा होगी। कथा का समय प्रतिदिन सुबह 8 से 11बजे तक रखा गया है।

प्राकृतिक संसाधनों पर सबका अधिकार

संतजी ने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों पर किसी बलशाली बाहुबली का एकाधिकार न होकर सभी प्राणियों का समान रूप से अधिकार होता है।जीवन के लिए जैसे साँस लेने को वन संपदा द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑक्सीजन आवश्यक है वैसे पीने के लिए जल भी आवश्यक है। ये विधाता द्वारा धरती को प्रदान किये प्राकृतिक संसाधन हैं जिन पर ताकत एवं धनबल के प्रभाव से कोई , कानून का दुरुपयोग कर अपना अधिकार नहीं जता सकता , ये संदेश भगवान श्रीकृष्ण ने यमुना के जल को जहरीला करने वाले उस पर कब्जा कर गोकुलवासियों को परेशान करने वाले कालिया नाग का मर्दन कर समाज को दिया जो आज भी प्रासंगिक है।

महेंद्र आर्य और सचिन ने नवनियुक्त साडा अध्यक्ष का किया स्वागत

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 मई. नवनियुक्त साडा अध्यक्ष अशोक शर्मा के पदभार संभालने के दिन शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। पदभार ग्रहण करने के लिए

पहनाई माला, बांटी मिठाई

पाताली हनुमान मंदिर से जुलूस के साथ निकलने से पूर्व उन्हें बधाई देने वालों का हजारों की संख्या में तांता लग गया।

इस अवसर पर वार्ड 16 के भाजपा पार्षद महेंद्र आर्य और युवा भाजपा नेता सचिन सिकरवार भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। नेताओं ने नवनियुक्त साडा अध्यक्ष अशोक शर्मा को फूलों की माला पहनाकर उनका

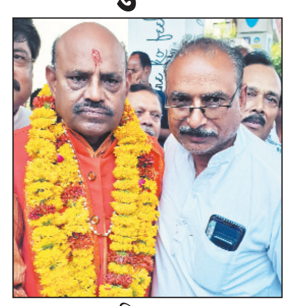

भव्य स्वागत किया।

बधाई और मिठाई: इस खुशी की घड़ी में क्षेत्र में मिठाइयां बांटी गईं और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया।

क्षेत्रीय जनता के बीच अपने स्नेह और मिलनसार स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले अशोक

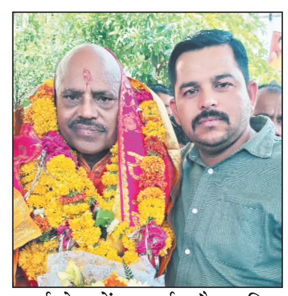

शर्मा ने महेंद्र आर्य और सचिन सिकरवार का स्वागत स्वीकार किया। उन्होंने दोनों नेताओं को गले लगाकर उनके स्नेह और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने साडा के नवनियुक्त अध्यक्ष को नई पारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

विधानसभाध्यक्ष नरेन्द्र सिंह ने वरिष्ठ भाजपा नेताओं के निवास पर जाकर जताई संवेदना

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 मई. विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने वयोवृद्ध नेता चौधरी कप्तान सिंह गुर्जर के निधन पर राज बाग गार्डन में हुई श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की एवं पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह एवं जितेंद्र सिंह गुर्जर से भेंट कर ढाढस बधांया।

विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ सदस्य अशोक शर्मा की मां के निधन पर ज्योति नगर स्थित उनके निवास पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। तोमर ने क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ नेता बृजराज सिंह जादौन की धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी सिंह जादौन के निधन पर उनके निवास शिवाजी नगर पर पहुंचकर संवेदना व्यक्त की।

विधानसभा अध्यक्ष के साथ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक जादौन, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश शिवहरे, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक जैन, पूर्व अध्यक्ष देवेश शर्मा, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक शर्मा, सोनु मंगल, पूर्व पार्षद दिनेश दीक्षित, धर्मेंद्र सिंह तोमर (गुड्डू), पुरुषोत्तम टमोटिया, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मोनु कंसाना, हर्ष श्रीवास्तव ने भी पुष्पांजलि कर श्रद्धापूर्वक नमन किया ।

मदाखलत अमले ने महाराज बाड़ा से हटाया अस्थाई अतिक्रमण

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 मई. नगर निगम के मदाखलत अमले द्वारा सुगम यातायात के लिए शहर के विभिन्न स्थानों से अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

मदाखलत अधिकारी रवि कोरी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय के निर्देशानुसार एवं नोडल अधिकारी श्री केशव सिंह चौहान के निर्देशन में दक्षिण विधानसभ अंतर्गत महाराज बाड़ा स्थित सुभाष मार्केट, नजरबाग मार्केट, टाउन हॉल मुख्य मार्ग पर यातायात एवं आमजनों का रास्ता अवरुद्ध कर रहें हाथ ठेले एवं फुटपाथियो

को हटाया जाकर सामान जप्ती की कार्यवाही की गई।

उक्त कार्यवाही में मदाखलत निरीक्षक श्री विशाल जाटव सहित दक्षिण विधानसभा अमला उपस्थित रहा।

नाबालिग का अपहरण कर शादी के लिए दबाव बनाने वाले दो सगे भाई गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 6 मई. नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे डराने-धमकाने और जबरन शादी के लिए दबाव बनाने वाले आरोपियों के खिलाफ मोहना थाना पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत के अनुसार, बीती 29 अप्रैल की शाम जब नाबालिग पीड़िता कुएं पर पानी भरने गई थी, तभी आरोपी धीरज बघेल उसे बहला-फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल ले गया। आरोपी ने नाबालिग पर शादी का दबाव बनाया और इनकार करने पर उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी पीड़िता को बड़ेगांव रोड पर छोड़कर भाग निकला। डर के कारण पीड़िता ने शुरू में पुलिस को पूरी बात नहीं बताई थी, लेकिन बाद में काउंसलिंग और पूछताछ के दौरान उसने पूरी आपबीती सुनाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं (अपहरण और धमकी) के तहत मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी सरनाम सिंह परमार की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। पुलिस ने रेलवे ब्रिज के पास बड़ेगांव रोड पर घेराबंदी की और मोटरसाइकिल पर आ रहे आरोपी धीरज बघेल को धर दबोचा। मुख्य आरोपी धीरज से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस अपराध में संलिप्त उसके भाई नेपाल बघेल को भी स्टेडियम के पास स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है।

नाम संशोधन सूचना

मैं सूचनाकर्ता **मीना शर्मा पत्नी श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी** व पुत्री श्री राधा बल्लभ शर्मा निवासी- 112/1, कुशवाह मोहल्ला के पास, ललितपुर कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर म.प्र. सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरी कक्षा 11 वीं की अंकसूची में मेरा नाम **मीना देवी शर्मा** अंकित है जो त्रुटिवश गलत अंकित हैं, जबकि मेरे सर्विस रिकॉर्ड व मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम **मीना शर्मा** है दोनो नाम मुझ सूचनाकर्ता से ही संबधित है अतः सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मुझे **मीना देवी शर्मा** के स्थान पर **मीना शर्मा** के नाम से जाना व पहचाना जावें ऐसा सूचित होवे

महाराष्ट्र राज्य सडक परिवहन महामंडल
कार्यकारी अभियंता, रा.प. विभागीय कार्यालय इमारत,
समर्थनगर, छत्रपती संभाजीनगर.

ई-निविदा सुचना क्र. ०२/२०२६-२७, दि. ०६.०५.२०२६

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य सडक परिवहन महामंडल अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य मे निम्नलिखित काम के लिये श्रेणी ब-१ सार्वजनिक बांधकाम विभाग में पंजीकृत (रु. १.५० करोड रु. तक काम के लिए) और रु. १.५० करोड रु. से उपर के कार्य सीमाओं के लिए, अनुभवी, तांत्रीक और आर्थिक दृष्टीसे सक्षम ठेकेदारासे दो लिफाफा विधि का उपयोग करके, ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित करते हे.

अ. क्र.	काम का नाम	काम का अनुमानित खर्चा (रु)
1.	महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल के विभिन्न स्थानो पर प्रवासी आश्रय का बांधकाम करना.	७१,०८,४६,८४६.००

ई-निविदेचे वेळापत्रक

निविदा डाऊनलोड / विक्री प्रारंभ (से) निविदा विक्री बंद और जमा करणे (तक)	दि. ११/०५/२०२६ समय १३.०५ बजे से दि. २५/०५/२०२६ समय १५.०० बजे तक	निविदा खोलने की तारीख (अगर संभव हुआ)	दि. २६/०५/२०२६ समय १५.००
निविदा पूर्व बैठक	दि. १८/०५/२०२६ समय ११.०० बजे		

टिप :- १) निविदा कागदपत्रो का तपशील www.mahatenders.gov.in ये संकेत स्थल पे उपस्थित है.
२) अधिक जानकारी और दुविधा के लिये ये दुरध्वनी क्रमांकपे संपर्क करे ०२४०-२३५०१४०, ई-मेल - msrtceeabd@gmail.com

हस्ता/-
ग.स.राजगिरे
कार्यकारी अभियंता, रा.प. छत्रपती संभाजीनगर

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, आर्मी नं. 16014562L Rank HAV- नाम बालेन्द्र सिंह हाल नि. यूनिट 35 आन्द्र बटालियन एनसीसी, चित्तूर (एपी), स्थाई निवास 111, गली मोहल्ला शेखपुर, बुजुर्ग, जिला जालौन (उ0प्र0) 285128, तथा मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरी पुत्री का नाम साक्षी सेंगर (SHAKSHI SANGER) दर्ज है जोकि गलत अंकित है। तथा उसके आधार कार्ड, व 10 की मार्कशीट में नाम साक्षी सेंगर (SHAKSHI SENGAR) दर्ज है जो सही व सत्य है। तथा मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरी पुत्री का नाम साक्षी सेंगर (SHAKSHI SANGER) के स्थान पर नाम साक्षी सेंगर (SHAKSHI SENGAR) दर्ज किया जावे। सत्यापित एफिडेविट नं. BX 371249 दिनांक 05/05/2026

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान ब्रजमोहन प्रजापति पुत्र श्री धनीराम प्रजापति ने एक अचल संपत्ति जिसका प्लॉट नंबर 28, पटवारी हल्का नंबर 10, नगर निगम वार्ड नंबर 63, कृष्णा विहार कॉलोनी, पुरानी छावनी, ग्राम मालनपुर तहसील ग्वालियर ग्रामीण एवं जिला ग्वालियर (म.प्र.) के सर्वे क्र. 815/2 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- अन्य, पश्चिम में- रास्ता 22 फुट, उत्तर में- प्लॉट नंबर 27, दक्षिण में- प्लॉट नंबर 29 व कुल क्षेत्रफल 797 वर्ग फुट है को क्रय करने का लिखतम विक्रय अनुबंध-पत्र संपत्ति मालिक श्रीमान भूरे सिंह यादव पुत्र श्री कालीचरण सिंह यादव के साथ संपादित किया है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमती रामश्री पत्नी स्व. श्री नत्था एवं श्रीमान सुल्तान, सूबालाल, कन्हैया, बलराम पुत्रगण स्व. श्री नत्था, कमला, राजो पुत्रियाँ स्व. श्री नत्था व अन्य के स्वत्व, स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों मे विधिवत दर्ज है। जिसमें श्री सूबालाल के फोत उपरांत उनके क़ानूनी वारिस अर्थात श्रीमती मुन्नी (पत्नी), रचना (पुत्री), सुंदरलाल, मनीष (पुत्रगण) के नाम राजस्व विभाग में दर्ज हुए। तदुपरांत श्रीमान सुल्तान सिंह, बलराम उर्फ बल्लू बघेल पुत्रगण स्व. श्री नत्थाराम, कमला, राजो पुत्रियाँ स्व. श्री नत्थाराम एवं श्रीमती मुन्नी पत्नी स्व. श्री सूबालाल उर्फ शिवलाल पाल, श्रीमान सुंदर पाल, मनीष पाल पुत्रगण स्व. श्री सूबालाल उर्फ शिवलाल पाल, रचना पाल पुत्री स्व. श्री सूबालाल उर्फ शिवलाल पाल जर्ये मुख्तयार आम श्रीमान सरनाम सिंह पुत्र श्री कालीचरण सिंह द्वारा श्रीमान भूरे सिंह पुत्र श्री कालीचरण सिंह को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP142602024A 11405857 व दिनांक 19-12-2024 से विक्रय की गई। तदानुसार उक्त संपत्ति के अंश भाग का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख शीघ्र ही क्रेता के पक्ष में संपादित किया जाने वाला है। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियाँ इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होंगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो।
इति दिनांक 06.05.2026

प्रेषक-**विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)
कार्यालय "मैसर्स श्री हीरानंद लीगल कंसल्टेंट"
ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

//नाम परिवर्तन सूचना//

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की मेरे पासपोर्ट क्रमांक 19559546 में मेरा नाम नजमाह **(NAJMAH)** अंकित है जो की पासपोर्ट कार्यालय जयपुर राजस्थान से दिनांक 15/05/2014 को जारी किया गया है। कुछ समय उपरांत मैंने अपना नाम **नजमा** (NAJAMA) रख लिया है जो की मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड में भी अंकित है अब मुझे भविष्य में **नजमा** (NAJAMA) के नाम से ही जाना पहचाना जाए ।

धन्यवाद
पुराना नाम : **नजमाह** (NAJMAH)
नया नाम : **नजमा** (NAJAMA)
पत्नी : इमरान खान
फ्लैट नो. 206 साक्षी पर्ल अपार्टमेंट नियर हुरावली चौराहा मुरार, ग्वालियर म.प्र. 474006 मो. 8319706370

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, आर्मी नं. 16014562L Rank HAV- नाम बालेन्द्र सिंह हाल नि. यूनिट 35 आन्द्र बटालियन एनसीसी, चित्तूर (एपी), स्थाई निवास 111, गली मोहल्ला शेखपुर, बुजुर्ग, जिला जालौन (उ0प्र0) 285128, तथा मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरे पुत्र का नाम प्रिंस सिंह सेंगर (PRINCE SINGH SENGAR) दर्ज है जोकि गलत अंकित है। तथा उसके आधार कार्ड, व 10 क्लास की मार्कशीट में नाम प्रिंस सेंगर (PRINCE SENGAR) दर्ज है जो सही व सत्य है। तथा मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरे पुत्र का नाम प्रिंस सिंह सेंगर (PRINCE SINGH SENGAR) के स्थान पर नाम प्रिंस सेंगर (PRINCE SENGAR) दर्ज किया जावे। सत्यापित एफिडेविट नं. BX 371248 दिनांक 05/05/2026

आम सूचना

आम व खास को सूचित किया जाता है कि, आवासीय भूखण्ड क्रमांक डी-12 का भाग जिसका कुल क्षेत्रफल 756 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 461/3 राजस्व ग्राम सिरोल पटवारी हल्का क्रमांक 79 का भाग होकर वार्ड क्र. 61, सत्यमग्रीन ग्राम सिरोल, तहसील एवं जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है :- पूर्व में-अन्य की भूमि, पश्चिम में-आम रास्ता, उत्तर में-गुर्जर का मकान, दक्षिण में-प्लॉट क्रमांक डी-12 के शेष भाग निर्मित पुष्पकला अम्ब का भवन स्थित है. उक्त संपत्ति को आवेदक श्री अशोक गुप्ता पुत्र श्री सीताराम गुप्ता निवासी शंकर कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 07. सेवड़ा, जिला दतिया, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती शांती देवी पत्नि श्री कुंदन सिंह निवासी राम नगर, गली क्रमांक 05, चन्द्रबदनी का नाका, लश्कर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, अलकनंदा, टावर 02, आदित्य कॉलेज के सामने, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरुद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, आवेदक के अनुसार उक्त सम्पत्ति का पूर्व मूल विक्रय ई-पंजीयन क्रमांक MP142592021 A1898760 दिनांक 25/10/2021 अनुबंधकर्ता से कहीं गुम हो गया है। जिसका अनुबंधकर्ता अथवा उसके संज्ञान में किसी अन्य के द्वारा किसी भी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया गया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी।उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।
दिनांक : 05/05/2026.

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय ओशो ध्यान केन्द्र के पास, पटेल नगर, सिटी सेंटर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय प्रात : 11.00 से सांय 05.00 तक

आम सूचना

श्री रिंकू एवं श्री सोनू कौशल पुत्रगण श्री जनक सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्राम खुरैरी, प.ह.नं.113, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.61 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.1136/2 ग्राम खुरैरी का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 765 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में-रास्ता 20 फुट चौड़ा, पश्चिम में-भूमि दीगर, उत्तर में-भूखण्ड युवराज रायपुरिया एवं दक्षिण में-भूखण्ड विक्रेता है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री मनीराम, श्री गुलाब, श्री लज्जाराम पुत्रगण श्री छोटे सिंह, सखी, सुनिता पुत्रियां श्री छोटे सिंह के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री मनीराम बघेल द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री रिंकू एवं श्री सोनू कौशल पुत्रगण श्री जनक सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142592022ए 1806839 दिनांक 01.08.2022 से विक्रय की गई। श्री रिंकू एवं श्री सोनू कौशल द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान टायगर होम फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो ।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्री राकेश सिंह नरवरिया पुत्र श्री चौधरी सिंह नरवरिया के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र.1-ए पर निर्मित भवन, स्थित साईड नं. 1 सिटी सेन्टर, तहसील व जिला ग्वालियर में है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.19 में स्थित है जिसका भवन क्र.3391 होकर सम्पत्ति क्र. 1000245047 है एवं जिसका क्षेत्रफल 900 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में-सम्पत्ति आकाश दीप अपार्टमेंट, पश्चिम में - कॉलोनी रास्ता 40 फुट चौड़ा, उत्तर में भवन पंकज अग्रवाल एवं दक्षिण में कॉलोनी रास्ता 25 फुट चौड़ा है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में सृष्टि गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित ग्वालियर जर्ये उपाध्यक्ष श्री संजय जोशी पुत्र श्री वी.वी. जोशी द्वारा श्रीमती स्वपना बैनर्जी पत्नी श्री के.के.बैनर्जी को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.697 दिनांक 02.06.1997 से विक्रय की गई। श्रीमती स्वपना बैनर्जी द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती अल्का चतुर्वेदी पत्नी श्री दिवाकर चतुर्वेदी को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.1895 दिनांक 25.03.2000 से विक्रय की गई। श्रीमती अल्का चतुर्वेदी द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री राकेश सिंह नरवरिया पुत्र श्री चौधरी सिंह नरवरिया को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.3595 दिनांक 13.03.2008 से विक्रय की गई। उक्त सम्पत्ति के वर्तमान स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि उक्त विक्रय विलेख दिनांक 02.06.1997 की मूलप्रति गुम हो गई है। श्री राकेश सिंह नरवरिया द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार टूहोम (अह्मह्लद्धश्च्द्द) फायनेंस लि. वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त विक्रय विलेख दिनांक 02.06.1997 की मूलप्रति प्राप्त हों तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें अथवा उसके सम्बन्ध में कोई हित रखते हों अथवा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710